संख्या-9/2022/474/86-2022-1(216)/93

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद,

हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, शामली।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 06 मई, 2022

विषयः-ईट-भट्ठों के संचालन पर विनियमन शुल्क (Regulating Fees) (ईट-भट्ठा सत्र 2021-22) लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ईट भट्ठा सत्र 2021-22 (01.10.2021 से 30.09.2022) के लिए विभिन्न श्रेणियों के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे के लिए विनियमन शुल्क के निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-1216/86-2021-1(216)/93 दिनांक 11.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-10 में ईट-भट्ठे का संचालन अग्रिम रूप से (अक्टूबर, 2021) विनियमन शुल्क (Regulating Fees) जमा करने के पश्चात् ही किये जाने तथा बिन्दु संख्या-13 में ईट-भट्ठा स्वामियों पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-21, 41(ड़) एवं 58(2) के प्राविधान लागू होने के प्राविधान उल्लिखित किये गये है।

2. अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या-1016/2019 में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 17.02.2021 के दृष्टिगत एन0सी0आर0 (जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, शामली) के ईट-भट्ठों का संचालन न हो पाने के कारण ईट-भट्ठो का विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-59 में प्राविधान है कि राज्य सरकार के प्रति देय, स्वामित्व या किन्ही अन्य देयों का भुगतान निश्चित दिनांक से 15 दिवस के अन्दर किया जायेगा तथा विलम्ब के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है।

3. मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 17.02.2021 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील डायरी संख्या-18213/2021 एन0सी0आर0 ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम् सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा ईट-भट्ठों के संचालन के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2022 के आलोक में उ0प्र0 ईंट निर्माता समिति द्वारा बिना ब्याज के विनियमन शुल्क दिये जाने की तिथि 15 मई, 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत् प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 11.10.2021 द्वारा विनियमन शुल्क अग्रिम रूप से जमा करने के स्थान पर उसे बिना ब्याज के 31.05.2022 तक जमा कराये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव।

shasanadesh.up.nic.in

संख्याः474/86-2022, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ उनके निजी सचिव को।
2. मण्डायुक्त सहारनपुर/मेरठ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संख्या-178/एम0-ईंट-भट्टा/2018-19, दिनांक 28.04.2021 के सन्दर्भ में।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर/बागपत/मेरठ/गाजियाबाद/हापुड़/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/शामली।
5. ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, मुजफ्फरनगर/बागपत/मेरठ/गाजियाबाद/हापुड़/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/शामली।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

shansandesh.up.nic.in